न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 97 / 2018	25–06–2018	30–08–2018

1–आशादेवी पत्नी राकेश कुमार जाति जाटव आयु करीब 32 साल निवासी हरिजन बस्ती, देहरा जैन मन्दिर के पास, वार्ड नम्बर 8 तिजारा जिला अलवर राज0

अपीलान्टस

बनाम

1–श्रीमान् उप निदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना अलवर राज0
2–बाल विकास परियोजना अधिकारी तिजारा जिला अलवर राज0

रेस्पाडेन्टान्

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

अपील अभिशंषा दिनांक 17.07.2017 के बावजूद नियुक्ति नही देने बाबत आगंनबाडी केन्द्र हरिजन बस्ती वार्ड नं0 8 तिजारा जिला अलवर राज0

––:: निर्णय ::––

अपीलान्टा ने यह अपील मुल्यांकन प्रपत्र में सर्वाधिक 4 अंक प्राप्त होने पर आंगनबाडी केन्द्र हरिजन बस्ती वार्ड नं0 8 तिजारा में चयन होने पर भी नियुक्ति नही देने बाबत् पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अपीलान्टा द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलान्टा ने निवेदन किया है, कि राजस्थान सरकार निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं द्वारा आंगनबाडी कार्यकर्ता / मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता / सहायिका पर का मानदेय पर चयन करने हेतु विज्ञप्ति निकाली गई थी। उक्त विज्ञप्ति के आधार पर मिन अपीलान्टा द्वारा आंगनबाडी केन्द्र हरिजन बस्ती वार्ड नं0 तिजारा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। मिन अपीलान्टा के अलावा एक अन्य महिला मोनिका शर्मा द्वारा भी आवेदन किया गया था। मिन अपीलान्टा को सर्वाधिक 4 अंक प्राप्त हुए सर्वाधिक 4 अंक प्राप्त होने के पश्चात् चयन समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 17.07.2017 को किया गया जिसमें मिन अपीलान्टा को चयन हेतु अभिशंषा भेजने का प्रपत्र जारी किया, किन्तु मिन अपीलान्टा को आदिनांक तक नियुक्ति प्रदान नही की गई। मिन अपीलान्टा द्वारा रैस्पॉडेन्टस से सर्म्पक कर नियुक्ति हेतु मौखिक व लिखित निवेदन करती चली आ रही है। मिन अपीलान्टा के अलावा जो अन्य आवेदक थी उसके अंक मिन अपीलान्टा से कम थे इसके पश्चात् मिन अपीलान्टा द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर के समक्ष आवेदन पत्र पेश कर नियुक्ति हेतु निवेदन किया गया जिस पर श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा अग्रिम कार्यवाही किये जाने बाबत् निर्देश प्रदान किये गये। उक्त निर्देशों की पालना में उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग अलवर द्वारा पत्र दिनांक 18.06.2018 के माध्यम से अपील प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में यह अपील अविलम्ब पेश की जा रही है। मिन अपीलांन्टा गरीब हरिजन है तथा अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है। पात्रता नियमों के अनुसार जिस आवेदिका की अधिक आयु होगी उसे वरियता दिया जाना होता है। मिन अपीलान्टा की आयु 32 वर्ष है जो अन्य आवेदिका से अधिक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्टा मुल्यांकन प्रपत्र में सर्वाधिक 4 अंक प्राप्त होने पर आंगनबाडी केन्द्र हरिजन बस्ती वार्ड नं0 8 तिजारा के लिए दिनांक 17.07.2017 को चयन अभिशंषा प्रपत्र जारी किया गया है। उसके आधार पर अपीलान्टा को नियुक्ति प्रदान करने हेतु रैस्पॉडेन्टस को निर्देश प्रदान किये जाने की कृपा करे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

रैस्पॉडेन्ट नं0 1 उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग अलवर द्वारा अपील के संबंध में निवेदन किया की आंगनबाडी केन्द्र हरिजन बस्ती वार्ड नं0 8 नगर पालिका क्षेत्र तिजारा के लिए दिनांक 22.04.2016 को विज्ञप्ति जारी की गई। आंगनबाडी केन्द्र हरिजन बस्ती वार्ड नं0 8 तिजारा के लिए 2 दो आवेदन पत्र आशादेवी व श्रीमति मोनिका शर्मा के प्राप्त हुए श्रीमती आशा देवी निवासी तिजारा वार्ड नं0 8 के मुल्यांकन पपत्र के अनुसार 4 अंक प्राप्त हुए व श्रीमती मोनिका के 3 अंक प्राप्त हुए। दिनांक 17.07.2017 को चेयरमैन नगरपालिका तिजारा की अध्यक्षता में चयन कमेटी के सदस्यों ने सम्पूर्ण दस्तावेजों की जांच के उपरान्त सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली महिला श्रीमती आशा देवी का चयन कर प्रपत्र "स" पर सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। श्रीमती आशा देवी ने चयन के संबंध में समय–समय पर कार्यालय में सर्म्पक किया। श्री अमित शर्मा वार्ड नं0 8 तिजारा ने उपखण्ड अधिकारी तिजारा को आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नं0 8 के कार्यकर्ता चयन के समय शिकायत की गई कि चयन उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में होना चाहिए। दिनांक 09.08.2016 को सांय 5 बजे तक एक ही आवेदन पत्र श्रीमती मोनिका शर्मा का प्राप्त हुआ बाबूओं की मिलिभगत से 45 दिन बाद दूसरा फार्म लिया गया जिसका चयन किया गया है उसका जाति प्रमाण पत्र बाद में जारी हुआ है। श्रीमती मोनिका शर्मा को बी.पी.एल. का अंक नही दिया है इस प्रकार चयन प्रक्रिया में अनियमितता बाबत् लिखा गया। सी.डी.पी.ओ. तिजारा ने पंत्राक 3695 दिनांक 13.09.2017 द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी को शिकायत के संबंध में तथ्यातमक रिपोर्ट पेश की है जिसमें चयन विभाग दिशा–निर्देशानुसार सही होना बताया गया है। उपखण्ड अधिकारी तिजारा ने पंत्राक 2963–64 दिनांक 10.10.2017 जिसकी प्रति निदेशक समेकित बाल विकास योजनाएं जयपुर को प्रेषित की है के द्वारा अमित शर्मा वार्ड नं0 8 हरिजन बस्ती तिजारा के प्रार्थना पत्र के आधार पर इस कार्यालय को लिखा है कि दिनांक 05.05.2016 तक एक ही आवेदन पत्र कार्याकर्ता पद के लिए प्राप्त होना बताया है। शिकायत में 45 दिन बाद दूसरा आवेदन पत्र कार्यालय की मिलिभगत से प्राप्त होना बताया गया है। प्रार्थनापत्र के साथ जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र दिनांक 05.05.2016 के बाद जारी किये गये है। इस संबंध में स्थानीय कार्यालय द्वारा श्रीमान् निदेशक महोदय समेकित बाल विकास जयपुर से मार्गदर्शन चाहा गया लेकिन मार्गदर्शन आदिनांक तक प्राप्त नही हुआ है। इस कार्यालय के पत्रांक 6 दिनांक 01.01.2018 द्वारा सी.डी.पी.ओ. तिजारा श्रीमती आशा देवी पत्नि श्री राकेश कुमार के चयन प्रकरण को पुनः चयन कमेटी के समक्ष रखने हेतु लिखा गया लेकिन लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी चेयनमैन, अधिशाषी अधिकारी तिजारा द्वारा चयन तिथि निर्धारित नही करने पर श्रीमती आशा देवी श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय अलवर के समक्ष प्रस्तुत हुई। श्रीमान् जिला कलक्टर ने प्रार्थीया को श्रीमान् के कार्यालय में अपील दर्ज करने हेतु निर्देश दिये गये है। रैस्पॉडेन्ट नं0 2 द्वारा रैस्पॉडेन्ट नं0 1 के कथनो के अतिरिक्त अपनी रिपोर्ट में यह निवेदन किया गया है, कि वार्ड पार्षद शोभाराम द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त चयन को गलत बताया और कहा की अन्य आवेदनकर्ता श्रीमती मोनिका शर्मा को बी.पी.एल. के अंक नही दिये गये है। कार्यालय द्वारा इस संबंध में अवगत कराया है कि दिनांक 14.07.2017 को कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी को आवेदनकर्ता मोनिका शर्मा के आवेदन के साथ संलग्न बी.पी.एल. सर्वे क्रमांक 126 चयन वर्ष 2003 की जांच करने हेतु निर्देशित किया। सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने जांच उपरान्त अवगत कराया की नगर पालिका तिजारा में बी.पी.एल. रजिस्टर का अवलोकन किया जिसमें सर्वे के क्रमांक 126 पर आवेदनकर्ता (परिवार) का नाम अंकित नही पाया इस आधार पर आवेदन कर्ता को बी.पी.एल. का लाभ नही दिया गया। इसके पश्चात् कार्यालय पत्रांक 3213 दिनांक 19.07.2017 के द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका तिजारा को बी.पी.एल. प्रमाणीकरण करने हेतु पत्र लिखा गया जिसके जवाब में नगर पालिका तिजारा ने अपने पत्रांक 892 दिनांक 21.07.2017 के द्वारा बी.पी.एल. सूची उपलब्ध कराई जिसमें क्रम संख्या 121/132 पर नाम है। कार्यालय पत्रांक 3497 दिनांक 25.07.2017 के द्वारा पुनः अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका क्षेत्र तिजारा से उक्त आवेदन कर्ता बी.पी.एल. है या नही का प्रमाणीकरण मांगा गया कोई जवाब प्राप्त नही होने पर पुनः पत्रांक 3573 दिनांक 21.08.2017 को पत्र लिखा गया जिसके जवाब में नगर पालिका तिजारा ने अपने पत्र कमांक 1118 दिनांक 30.08.2017 के द्वारा अवगत कराया की उक्त आवेदन कर्ता का परिवार का 121/132 पर

अंकित है क्रम संख्या 126 पर अंकित नही है। उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा उक्त चयन में की गई शिकायत के संबंध में जवाब मांगा गया कर्यालय पत्रांक 3695 दिनांक 13.09.2017 को जवाब प्रेषित किया गया। इसी संबंध में उप निदेशक महिला बाल विकास विभाग अलवर को कार्यालय पत्रांक 3814 दिनांक 30.09.2017 के द्वारा अवगत कराकर मार्गदर्शन मांगा गया। श्रीमान् उप निदेशक महिला बाल विकास विभाग अलवर द्वारा अपने पत्रांक 138 दिनांक 24.01.2018 एवं पत्राक 6 दिनांक 01.01.20018 के द्वारा निर्देशित किया गया की प्रकरण को चयन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशों की पालना में कार्यालय के पत्रांक 4554 दिनांक 23.04.2018 के द्वारा चेयरमैन नगरपालिका तिजारा को द्वारा चयन कमेटी की मिटिंग हेतु तिथि निर्धारण करने के लिए पत्र लिखा गया लेकिन आदिनांक तक कोई जवाब प्राप्त नही हुआ। इसी दौरान श्रीमान् उप निदेशक महिला बाल विकास विभाग अलवर का पत्र 252 दिनांक 08.06.2018 प्राप्त हुआ जिसमें निर्देश दिये गये की प्रकरण में श्रीमती आशा देवी से श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर के अपील कराने हेतु पांबध करे। उपरोक्त कारणों की वजह से श्रीमती आशा देवी का चयन आदेश जारी नही किया गया है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 05.05.2016 के बाद श्रीमति आशादेवी के दिनांक 21.06.2016 को जाति प्रमाण--पत्र व दिनांक 07.06.2016 को मूल निवास प्रमाण--पत्र जारी हुये है। अतः आवेदनकर्ता श्रीमति आशादेवी आवेदन की अंतिम तिथि 05.05.2016 तक आवेदन के पात्र ही नहीं थी, क्योंकि विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 20.04.2016 से स्पष्ट है कि संबंधित आंगनबाड़ी कवरेज क्षेत्र की निवासी महिला ही फॉर्म भरने के पात्र होगी। जहां तक श्रीमति मोनिका शर्मा का बीपीएल श्रेणी में होने का प्रश्न है, पत्रावली में संलग्न बीपीएल सूची की प्रति से स्पष्ट है कि उक्त सूची वार्डवार बनी हुई है। जिसमें क्रम संख्या 121/32 पर प्रार्थिनी के परिवार की मूखिया का नाम अंकित है। उक्त सूची का अवलोकन भी संबंधित द्वारा गौर से नहीं किया गया है। जब एक बार नगर पालिका तिजारा द्वारा बीपीएल सूची उपलब्ध कराकर स्पष्ट करा दिया था, तो पुनः रिपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। पत्रावली से यह भी स्पष्ट है कि जब प्रकरण को पुनः चयन कमेटी के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया, तो चयन कमेटी द्वारा तिथि निर्धारण कर पुनः चयन क्यों नहीं किया गया।

अतः उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी तिजारा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण को पुनः चयन कमेटी के समक्ष रखकर विधिसगत् कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30--08--2018 **को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

(ओ०पी०जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)